



देवघर समाहरणालय
(जिला विकास शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय विधायक, मधुपुर-सह-माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार के अनुशंसानुसार विधायक निधि (2018-19) से मधुपुर वि०स०क्षे० अंतर्गत सर्वसाधारण के उपयोग हेतु एक अदद शव-वाहन (Mortuary Van) का क्रय किया जाना है।

अतः वातानुकूलित शव-वाहन (Mortuary Van) के आपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन अधिकृत एवं इच्छुक फर्म/ विक्रेता से मुहरबंद निविदा दिनांक: 19.01.2019.. (अप० 2.00 बजे तक) आमंत्रित किया जाता है।

निविदा की शर्तें www.deoghar.nic.in एवं विकास भवन, देवघर के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

प्रमाण-पत्र
10/01/19

निदेशन
10/01/19

उप विकास आयुक्त,
देवघर
10.01.19

निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता का CGST/SGST/TIN नम्बर एवं इसका सफाया प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
2. निविदा के साथ निविदादाता को 20,000/- (बीस हजार) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, उप विकास आयुक्त, देवघर के पदनाम से (Payable at Deoghar) समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उक्त शव-वाहन को देवघर जिला मुख्यालय तक पहुँचाने के लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क/फिटिंग चार्ज इत्यादि देय नहीं होगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ निविदादाता को आयकर सफाया प्रमाण-पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।
5. निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
6. काली सूची में दर्ज निविदादाता के निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के साथ तत्संबंधी लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा दिनांक 19.01.2019 को अपराह्न 2.00 बजे अपराह्न तक जिला विकास शाखा, देवघर में जमा करना होगा। इस अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उक्त तिथि को ही अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में इसे खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- 8- शव वाहन का मेक- Mahindra, TATA, Maruti अथवा मानक/ब्राण्डेड कम्पनियों का होना आवश्यक है तथा इसका दर सभी Accessories सहित (On Road) होगा।
9. सभी सामानों का दर सभी कर/परिवहन/फिटिंग चार्ज सहित देना अनिवार्य है।

ज्ञापांक-.....57...../वि०, दिनांक-...10.01.2019.....

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को विज्ञापन से संबंधित सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं तीन दैनिक समाचार पत्रों (प्रभात खबर, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान) के झारखण्ड संस्करण में एक दिन के लिये विभागीय स्तर से इस विज्ञापन के प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय विधायक, मधुपुर-सह-माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमाण-पत्र
10/01/19

निदेशन
10/01/19

उप विकास आयुक्त,
देवघर
10.01.19